भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2038

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार करना

2038. श्री राजू बिष्टः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा अन्य ऋण योजनाओं के अंतर्गत छोटे व्यवसायों को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है;

(ख) ऑर्थोडॉक्स चाय, अदरक, इलायची और पारंपरिक हस्तशिल्प सहित स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पलायन को रोकने और टिकाऊ स्थानीय रोजगार का सृजन करने के लिए पारंपरिक ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा अन्य ऋण स्कीमों के अंतर्गत दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में छोटे व्यवसायों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. पीएमईजीपी के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान दार्जिलिंग जिले में 6.56 करोड़ रुपये तथा कालिम्पोंग जिले में 1.97 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी संवितरित की गई है।
ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की राष्ट्रीय एससी-एसटी हब स्कीम के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान दार्जिलिंग जिले में 18.2 लाख रुपये की पूंजी सब्सिडी जारी की गई है।
iii. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान दार्जिलिंग जिले में 66.49 लाख रुपये तथा कालिम्पोंग जिले में 6.61 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।

(ख) ऑर्थोडॉक्स चाय, अदरक, इलायची तथा पारंपरिक हस्तशिल्प सहित स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को उन्नत करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम के अंतर्गत ऑर्थोडॉक्स चाय, अदरक, इलायची तथा पारंपरिक हस्तशिल्प सहित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) उत्पादों के विपणन को सुदृढ़ करने तथा बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए, पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों को घरेलू व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, वेंडर विकास कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों, बारकोड पंजीकरण तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों यथा- एमएसएमई ग्लोबल मार्ट को अपनाने में भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
ii. बाजार पहुंच का विस्तार करने और डिजिटल विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जोड़कर एमएसएमई टीम (व्यापार सक्षमता एवं विपणन) पहल के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
iii. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के बिक्री केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत उत्पादकों को विपणन सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, केवीआई क्षेत्र के लाभार्थियों की भागीदारी के लिए नियमित रूप से प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
iv. वैश्विक उत्पाद बिक्री तथा खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बाजार उपलब्ध कराने हेतु ई-कॉमर्स पोर्टल (https://www.ekhadiindia.com) विकसित किया गया है।

v. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वोकल फॉर लोकल पहल के संवर्धन के लिए, पीएमएफएमई स्कीम में मुख्यतः सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाने हेतु देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद के चयन, ब्रांडिंग और संवर्धन के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यह स्कीम ऑर्थोडॉक्स चाय, अदरक और इलायची सहित सभी उत्पादों के प्रसंस्करण से जुड़े सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामान्य अवसंरचना, ब्रांडिंग एवं विपणन, पैकेजिंग, गुणवत्ता मानकीकरण, खाद्य सुरक्षा अनुपालन और बाजार संपर्क में सहायता प्रदान करती है।

(ग) युवाओं के पलायन को रोकने और सतत स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु परंपरागत ग्राम एवं कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

I. पीएमईजीपी के अंतर्गत:

i. विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त कुल इकाइयों में से लगभग 80% इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

ii. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया।

iii. आकांक्षी जिलों के आवेदकों तथा ट्रांसजेंडरों को विशेष श्रेणी में शामिल कर उन्हें उच्च सहायता हेतु पात्र बनाया गया।

iv. संभावनाशील लाभार्थियों को यथासमय सहायता और पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य कार्यालयों में पीएमईजीपी हेल्पडेस्क स्थापित किए गए हैं।

v. विभिन्न उद्योगों पर तैयार की गई 1,000 से अधिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मॉडल पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।

vi. दूरदराज क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री तथा वीडियो क्लिप का प्रसार किया जा रहा है।

vii. एमएसएमई को ऋण देने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार, 20 लाख रुपये तक के ऋण वाली परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा कोई संपार्श्विक सिक्यूरिटी नहीं मांगी जानी चाहिए। सभी वित्तपोषक बैंकों से कहा गया है कि वे इस प्रावधान का सख्ती से अनुपालन करें।

viii. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात केवीआईसी, केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), राज्य जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ix. संभावनाशील लाभार्थियों की पहचान करने और आवेदन प्रक्रिया के दौरान पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पिछड़े और कमतर-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) आदि सहित सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

x. संभावनाशील उद्यमियों को पीएमईजीपी सहित सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में जागरूक करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

II. मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से 18 परंपरागत ट्रेड यथा- बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र-निर्माता, धातु शिल्पकार, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाला, मोची/जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला, (पारंपरिक) खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को ऋण, कौशल प्रशिक्षण तथा टूलकिट सहायता भी प्रदान की जाती है।

III. इसके अतिरिक्त, केवीआईसी बेरोजगार युवाओं को खादी कताई और बुनाई, बेकरी उत्पाद, ब्यूटी पार्लर, सजावटी वस्तुएं, साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण, मधुमक्खी पालन, सिलाई, कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, टेराकोटा उत्पाद निर्माण, कुल्हड़ निर्माण, दाल प्रसंस्करण, अचार निर्माण, पापड़ निर्माण आदि जैसे विभिन्न विषयों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। विशिष्ट और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन में लगे चयनित उद्यमियों और कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
